



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1941 (श10)
(सं0 पटना 1106) पटना, शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2019

एस० ओ० 359, दिनांक 27 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 24 सितम्बर 2019 को उस तारीख के रूप में, जिसको बिहार माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2019 (बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 770, दिनांक 03 जुलाई 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस०ओ० 321, दिनांक 03 जुलाई 2019) के नियम 10, नियम 11, नियम 12 और नियम 26 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

2. यह अधिसूचना 24 सितम्बर, 2019 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)2913)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

27 सितम्बर 2019

एस० ओ० 359, दिनांक 27 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)2913)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 27th September 2019

S.O. 359, Dated 27th September 2019—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby appoints the 24th day of September, 2019, as the date on which the provisions of rules 10, 11, 12 and 26 of the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019 [notification No. S.O. 321, dated the 03rd July, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 770, dated the 03rd July, 2019], shall come into force.

2. This notification shall come into force on the 24th September, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 2913)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1106-571+10 -डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>